पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 663/2017

1. केदारमल शर्मा पुत्र स्व. श्री कालूराम
2. कुन्जबिहारी शर्मा
3. राजेन्द्र शर्मा — पुत्रान स्व. श्री भवंरलाल शर्मा — जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी किशनगढ, जिला अजमेर।
4. शिम्भूदयाल
5. अमित शर्मा — पुत्रान स्व. श्री घनश्याम शर्मा
6. सुमित शर्मा

– अपीलार्थीगण/वादीगण–

बनाम

1. जगदीश
2. श्री नारायण — पुत्रान स्व. श्री मूलचन्द
3. गणपत
4. राजूलाल
5. रेवडमल
6. मगनलाल — पुत्रान स्व. श्री गंगाबक्श
7. सीताराम
8. कल्याण प्रसाद पुत्र स्व. श्री नानगराम — जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम गीला की नांगल, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
9. घासी पुत्र स्व. श्री श्योनाथ
10. छीतर पुत्र स्व. श्री श्योनाथ
11. जगदीश पुत्र स्व. श्री भौरीलाल
12. प्रहलाद पुत्र स्व. श्री रामप्रसाद
13. लालाराम पुत्र स्व. श्री बदरी
14. कल्याण पुत्र स्व. श्री नारायण
15. रामूलाल पुत्र स्व. श्री नारायण
16. रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री नारायण
17. रामदयाल पुत्र स्व. श्री बदरी
18. रामकिशोर पुत्र स्व. श्री भौरीलाल
19. गोपाल पुत्र स्व. श्री भौरीलाल
20. रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री भौरीलाल
21. श्रीमती राधा बेवा स्व. श्री भौरीलाल
22. कैलाश चन्द पुत्र स्व. श्री नारायण
23. लालाराम पुत्र स्व. श्री नारायण
24. कमल शर्मा पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ
25. रेवड पुत्र स्व. श्री मांग्या

26. लादू पुत्र स्व. श्री मांग्या
27. भगवान सहाय पुत्र स्व. श्री रघुनाथ
28. रामकिशोर पुत्र स्व. श्री प्रताप
29. रामकरण पुत्र स्व. श्री नारायण
30. रामकिशोर पुत्र स्व. श्री नारायण
31. मांगीलाल पुत्र स्व. श्री गंगाराम — जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम गीला
32. बद्रीनारायण पुत्र स्व. श्री गंगाराम — की नांगल, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
33. लालाराम पुत्र स्व. श्री गंगाराम
34. रामराज पुत्र स्व. श्री गंगाराम
35. रामदयाल पुत्र स्व. श्री नैनूराम (मृतक)
35/1 पार्वती बेवा स्व. श्री रामदयाल
35/2 विनोद पुत्र स्व. श्री रामदयाल
35/3 विकास पुत्र स्व. श्री रामदयाल
35/4 पुष्पा देवी स्व. श्री रामदयाल
36. प्रकाश पुत्र स्व. श्री नैन्हूराम
37. श्रीमती धन्नी देवी बेवा स्व. श्री नैन्हूराम
38. श्रीमती मनभरी देवी पत्नी श्री लालाराम

39. केवल चन्द्र पुत्र जवाहर मल जैन, जाति जैन, निवासी ए–11, खेतडी हाउस, विवेकानन्द कॉलोनी, जयपुर।

40. सत्यनारायण एच.यू.एफ जरिये सत्यनारायण गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम, जाति महाजन, निवासी ई, 1–ई–19, शिव शक्ति कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर।

41. भवानी सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी देवरामज, कैम्पस, नायला रोड, जयपुर।

42. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तह0 बस्सी, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स –

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री हेमन्त सोगानी अपीलांट की ओर से।

2– श्री राजेश कुमार शर्मा रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 16–04–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी बस्सी दिनांक 30–06–2017 राजस्व वाद संख्या 376/2016 उनवानी केदारमल शर्मा व अन्य बनाम जगदीश व अन्य जिसके द्वारा वाद पत्र को अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दी. निरस्त किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण रेस्पोडेंट द्वारा दावा बाबत् घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती आज्ञात्मक आदेश एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि गीला की नांगल में स्थित है जिसमें वे काश्त कर जीवनयापन करते थे। उक्त

भूमि वादीगण के पूर्वजों के नाम राजस्व रिकॉर्ड व कब्जे काश्त में दर्ज थी। वादी नम्बर 1 के पिता स्व. कालूराम कमाने खाने के लिए किशनगढ चले गये तथा अपनी भूमि को कुटुम्बियों व पडौसी खातेदारों को बंटाई में संभला कर गये तथा समय–समय पर अपना हिस्सा लेने आते रहें। कालूराम का लम्बी बीमारी के पश्चात् वर्ष 1967 में निधन हो गया तथा उनके पश्चात् उनकी पत्नी नारायणी देवी व पुत्र स्व. भंवरलाल समय–समय पर गांव आते रहे व फसल बंटाई लेते रहें। भंवर लाल व नारायणी के पश्चात् वादीगण संख्या 1 कई बार प्रतिवादीगण के पास आये व बंटाई का हिस्सा मांगा परन्तु वे यह कहकर टालते रहे कि पानी खत्म हो चुका है, पैदावार नहीं होती है तथा जमीन खाली पडी है। जनवरी 2016 में वादीगण को विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी मिली कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादीगण के हिस्से की भूमि को बेचने पर आमादा है इस पर वादी संख्या 1 ने सूचितकर्ता व्यक्ति से कहा कि हमारी भूमि को दूसरे व्यक्ति कैसे बेच सकते है तो उन्हें उसने बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता. 4 ने भूमि अपने नाम करवा रखी है। इस पर वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की जिससे ज्ञात हुआ कि प्रथम सैटलमेन्ट कार्यवाही व एकीकरण कार्यवाही में वादीगण की पुश्तैनी भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 38 के पूर्वजों ने अवैध प्रकार से अपने नाम करवा ली है। जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त कथन करते हुए वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने खातेदारी अधिकार घोषित करने, राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने, वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादीगण को लौटाने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अनुतोष चाहा गया। वाद की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एवं 40 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अप्रार्थीगण वादीगण द्वारा झूंठे, गलत, मिथ्या एवं विरोधाभासी तथ्य अंकित कर वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है अतः वाद पत्र को खारिज फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30–06–2017 पारित कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद हेतु प्रकट नहीं होने एवं विधि विरूद्ध वर्जित होने से वाद खारिज किया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्टस द्वारा अपील मीमों में कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, दिनांक 30–06–2017 तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय है। आदेश 7 नियम 11 जा. दी. के तहत किसी वाद पत्र को मात्र उसी अवस्था में निरस्त किया जा सकता है जब वाद पत्र में कोई वाद कारण उल्लेखित ना हो, वाद पत्र, वाद पत्र में अंकित अभिवचन के आधार पर ही विधि द्वारा वर्जित अथवा अवधि बाधित होता है। वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में ही ऐसी कोई स्थिति विद्यमान ना होने के पश्चात् भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावे को निरस्त किये जाने का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में यह अंकित किया है कि वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में वाद हेतु प्रकट नहीं किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो वाद पत्र में अंकित अभिवचन पर न्यायिक विवेक लगाकर विचार किया और ना ही "वाद हेतु" "वाद कारण" शब्द की ही कोई व्याख्या की है। वादीगण ने जो वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया उसमें प्रस्तुत रूप से वाद कारण का उल्लेख किया गया है परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उसे समझे बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित फरमा दी

कि भूमि विवादग्रस्त वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी। राजस्व भू–अभिलेखों में वादीगण के पूर्वज का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था जिसे अवैध रूप से प्रतिवादीगण ने परिवर्तित करवा कर राजस्व भू–अभिलेखों में अपना नाम अंकित करा लिया जो पूर्णत अवैध व प्रभाव शून्य है। यह विधि की सुस्थापित व्यवस्था है कि यदि राजस्व भू–अभिलेखों में हो रहे इन्द्राजात द्वारा हस्तान्तरण होने अथवा न्यायालय की डिक्री के बिना यदि परिवर्तित कर दिया जाता है तो वे इन्द्राजात पूर्णतः अवैध व प्रभाव शून्य होते है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने यह स्पष्ट किया है कि भूमि विवादग्रस्त वादीगण के पूर्वज झूंथाराम पुत्र लालाराम तथा उनके वंशजो का नाम लोपित किया जाकर गोविन्दा पुत्र चन्दा का नाम दर्ज कर लिया गया जो पूर्णतः अवैध व प्रभाव शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय के अपने अपीलाधीन निर्णय में यह भी अंकित किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत दावा विधि द्वारा वर्जित है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में यह अंकित नहीं किया है कि वादीगण का दावा विधि के किस प्रकार के और कौन से प्रावधानों से वर्जित है, वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में ऐसे कोई अभिवचन अंकित नहीं है जिसके आधार पर यह माने जाने का कोई कारण हो कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा विधि द्वारा वर्जित हो। विधि की सुस्थापित व्यवस्था है कि आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी वाद पत्र को मात्र उसी अवस्था में निरस्त किया जा सकता है जब वाद पत्र में अंकित अभिवचन के आधार पर ही दावा विधि द्वारा वर्जित हो। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में यह अंकित किया है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह अंकित नहीं किया कि वादीगण के पूर्वज ने उक्त भूमि को किसे बंटाई पर दिया तथा कब–कब बंटाई लेने गये, वाद हेतुक जनवरी 2016 में प्रकट होना वाद पत्र में अंकित किया है, जबकि वादग्रस्त आराजियात में से कुछ भूमियां वर्ष 1980 में ही विक्रय हो चुकी है। इस प्रकार वादीगण ने वंशावली अंकित की है कि उसी के अनुरूप प्रतिवादीगण ने किस–किस पूर्वज को भूमि बंटाई पर दी गई थी। एवं वर्तमान प्रतिवादीगण में से किस पूर्वज के हक अधिकार/विरासत के बतौर खातेदार दर्ज हुए एवं किस खातेदार से कितनी भूमि की बंटाई का अनुतोष चाहा गया है, वाद पत्र में अंकित नहीं किया गया है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में जो अंकित किया है वह अभिवचन के रूप में पर्याप्त है। यह विधि की सुस्थापित व्यवस्था है कि वाद पत्र में अभिवचन अंकित करने के पश्चात् वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने दावे को साबित करना होता है, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई किसी आपत्ति मात्र के आधार पर आदेश 7 नियम 11 के आवेदन पर दावे को तथाकथित गुणावगुण पर निरस्त किया नहीं जा सकता। अन्यथा भी आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत मात्र 'वाद पत्र' को ही निरस्त किया जा सकता है। ''दावे'' को खारिज किये जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। विद्वान अधीनस्थ न्यायायल ने 'वाद पत्र' को निरस्त किये जाने व ''दावे को खारिज किये जाने के भेद को समझे बिना आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वादीगण के दावे को खारिज किये जाने का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। वादीगण ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा के संबंध में सम्पूर्ण वाद कारण अंकित करने के पश्चात् निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु यह अंकित किया कि वादी संख्या 1 को विश्वस्त सूत्रों से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने की कोशिश किये जाने पर जानकारी प्राप्त होने पर वादीगण को दावा दायर करना आवश्यक हुआ है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा किये गये उक्त

के अभिकथन काल्पनिक तौर पर अंकन किया जाना पाये जाने से वादीगण का वाद नैसर्गिक न्याय एवं विधि के सिद्धान्तों से वर्जित होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, वादीगण के दावे को निरस्त किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है। आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में ऐसे कोई प्रावधान न होने के पश्चात् भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी दिनांक 30.06.2017 निरस्त फरमाई जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर पक्षकारों के अभिवचन के आधार पर तनकियात कायम कर दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करने के पश्चात् दावे का गुणावगुण पर नियमानुसार निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

4— अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5— अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया गया है। विधि अनुसार वाद पत्र में दिये गये अभिकथन के आधार पर ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 निर्णित किया जाा सकता है जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त 2011—12 (Supp.) RRT 74 व AIR 2008 SC 3174 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज, दुरूस्ती आज्ञात्मक आदेश व स्थाई निषेधाज्ञा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया हैं जो विधि द्वारा वर्जित नहीं है जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त 2004 (9) एस.सी 512 व 2007 (15) एस.सी.सी. 52 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। यदि किसी प्रकरण में वाद कारण निर्देशात्मक हो तो साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। वाद कारण वाद पत्र में किये गये अभिकथनों का सकल योग (Bundle of Fact) होता है। प्रस्तुत वाद पत्र में वाद कारण हेतु समस्त तथ्य अंकित किये गये है अतः वाद कारण के अभाव के आधार पर जो अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2001 DNJ (Raj) Supp. 40, 2013 (1) RRT 685, 1984 RRD 821, 2012 Supreme Court 3912, 2011(2) RRT 1395 प्रस्तुत किये गये हैं।

6— अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वाद पत्र के मद नम्बर 3 के तथ्य अस्पष्ट है उसमें किशनगढ कौनसी दिनांक को गये, किन व्यक्तियों को भूमि बंटाई पर दी, आदि के संबंध में एक भी कथन नहीं किया गया है। वाद पत्र के मद नम्बर 4 में कालूराम की लम्बी बीमारी के बाद 1967 में मृत्यु होना कथन किया गया है जबकि 1967 से पूर्व प्रथम बन्दोबस्त एवं एकीकरण हो चुके थे। मद नम्बर 5 में हिस्सा देने से मना कर दिया, को वाद कारण आरम्भ होना कथन किया गया है लेकिन उसके पश्चात् कोई कार्यवाही नहीं की गई। वाद पत्र के मद नम्बर 6 में कथन किया गया है कि जनवरी 2016 में विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादीगण की भूमि को बेचने पर आमादा है उक्त मद में उक्त विश्वस्त सूत्र कौन था, का कोई कथन नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिया गया है न ही इसके संबंध में छूट देने की मांग की गई है। वादग्रस्त भूमि में से कुछ भूमि सन् 1980 में ही विक्रय की जा चुकी थी जिससे परमिशिव प्रजेशन नहीं माना जा सकता है। पूरे वाद पत्र को पढने से स्पष्ट

में न्यायिक दृष्टान्त DNJ 2017 (1) Page 1-6, RBJ 2006 Page 211, RJT 2014 (2) 884, DNJ 2014 (3) 1244 प्रस्तुत कर अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, आज्ञात्मक आदेश एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि गीला की नांगल में स्थित है जिसमें वे काश्त कर जीवनयापन करते थे। उक्त भूमि वादीगण के पूर्वजों के नाम राजस्व रिकॉर्ड व कब्जे काश्त में दर्ज थी। वादी नम्बर 1 के पिता स्व. मालूराम कमाने खाने के लिए किशनगढ चले गये तथा अपनी भूमि को कुटुम्बियों व पडौसी खातेदारों को बंटाई में संभला कर गये तथा समय–समय पर अपना हिस्सा लेते आये। कालूराम का लम्बी बीमारी के पश्चात् वर्ष 1967 में निधन हो गया तथा उनके पश्चात् उनकी पत्नी नारायणी देवी व पुत्र स्व. भंवरलाल समय–समय पर गांव आते रहे व फसल बंटाई लेते रहें। भंवर लाल व नारायणी के पश्चात् वादीगण संख्या 1 कई बार प्रतिवादीगण के पास आये व बंटाई का हिस्सा मांगा परन्तु वे यह कहकर टालते रहे कि पानी खत्म हो चुका है, पैदावार नहीं होती है तथा जमीन खाली पडी है। जनवरी 2016 में वादीगण को विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी मिली कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादीगण के हिस्से की भूमि को बेचने पर आमादा है इस पर वादी संख्या 1 ने सूचितकर्ता व्यक्ति से कहा कि हमारी भूमि को दूसरे व्यक्ति कैसे बेच सकते है? तो उन्हें उसने बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता. 4 ने भूमि अपने नाम करवा रखी है। इस पर वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की जिससे ज्ञात हुआ कि प्रथम सैटलमेन्ट कार्यवाही व एकीकरण कार्यवाही में वादीगण की पुश्तैनी भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 38 के पूर्वजों ने अवैध प्रकार अपने नाम करवा ली है। जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त कथन करते हुए वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने खातेदारी अधिकार घोषित करने, राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने, वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादीगण को लौटाने एवं प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अनुतोष चाहा गया। वाद की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एवं 40 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अप्रार्थीगण वादीगण द्वारा झूंठे, गलत, मिथ्या एवं विरोधाभासी तथ्य अंकित कर वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है अतः वाद पत्र को खारिज फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30–06–2017 पारित कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद हेतु प्रकट नहीं होने एवं विधि विरूद्ध वर्जित होने से वाद खारिज किया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–06–2017 पारित किया जाकर वाद को वाद हेतु प्रकट नहीं होना एवं विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उल्लेख किया गया है कि "हमने पत्रावली का सावधानी पूर्वक पठन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी, जवाब प्रार्थना पत्र वकुलाय लिखित एवं मौखिक बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व अन्तर्गत धारा 151 एवं वकुलाय ने अपने पक्ष में प्रस्तुत किये न्यायिक दृष्टान्तों का सावधानी पूर्व पठन कर मनन किया, तो हम पाते है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध मुख्य रूप से निर्धारित

विषयक वाद हेतु प्रकट होना एवं वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, इन तथ्यों का निर्धारण किया जाना है। वादीगण ने वाद पत्र अपने पितामह स्वं झूंथाराम का नाम मिसल हकीयत संवंत 1987 मे दर्ज रही, वादग्रस्त आराजी के आधार पर यह वाद घोषणा, दुरूस्ती आज्ञात्मक आदेश एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु न्यायालय में पेश किया है। वादीगण के पूर्वज़ ग्राम गीला की नांगल उर्फ गीलाबाला तहसील बस्सी से किशनगढ अजमेर कब गये? अपनी भूमि को किसे बंटाई पर दिया तथा कब–कब बंटाई ले गये? वाद हेतुक जनवरी 2016 में प्रकट होना वाद पत्र में अंकित किया है, जबकि वादग्रस्त आराजियात में से कुछ भूमियां वर्ष 1980 में ही विक्रय हो चुकी है। जिस प्रकार वादीगण ने वंशावली अंकित की है, उसी के अनुरूप प्रतिवादीगण के किस–किस पूर्वज को भूमि बंटाई पर दी गई थी एवं वर्तमान प्रतिवादीगण मे से किस पूर्वज के हक अधिकार/विरासत के बतौर खातेदार दर्ज हुए एवं किस खातेदार से कितनी भूमि की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वाद पत्र में कोई अंकन वादीगण ने नहीं किया है। वादीगण का वाद मात्र सम्वत 1987 की मिसल हकीयत में अंकित झूंथा वल्द लाला एवं ग्यारसा वल्द चन्द्रा एवं गोविन्दा वल्द चन्द्रा के अंकन के आधार पर पेश किया गया है। परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू तिथि 15.10.1955 के तत्समय पूर्व एवं पश्चात् का ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड वादीगण के पूर्वज का पेश नहीं किया गया। अप्रार्थीगण (वादीगण) के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रार्थना पत्र पर पूर्णतः चस्पा नहीं होते है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण (वादीगण) के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वादकरण का जनवरी 2016 में प्रकट होना काल्पनिक पाया जाता है। ऐसी स्थिति में वादीगण के अभिकथन काल्पनिक तौर पर अंकन किया जाना पाये जाने से वादीगण का वाद नैसर्गिक न्याय एवं विधि के सिद्धान्तों से वर्जित होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया उक्त विवेचन एवं पारित किया गया निष्कर्ष वाद पत्र में अंकित अभिवचनों के आधार पर किया गया है। वाद पत्र में वर्णित अभिवचनों को पढने से जाहिर होता है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र के मद नम्बर 1 में सजरा खानदान अंकित किया है। मद नम्बर 2 में वादग्रस्त भूमि का वर्णन करते हुए वादीगण के पूर्वजों के नाम राजस्व रिकॉर्ड व कब्जे काश्त की भूमि होना कथन किया गया है। उक्त मद में वादग्रस्त भूमि वादीगण के कौनसे पूर्वज के नाम प्रारम्भ में राजस्व रिकॉर्ड व खातेदारी में दर्ज रही है इसका कथन नहीं किया गया है। वाद पत्र कें मद नम्बर 3 में अंकित किया गया है कि वादी नम्बर 1 के पिता स्व. श्री कालूराम अपने पिता झूंथाराम के देहान्त के पश्चात् किशनगढ अजमेर चले गये तथा भूमि कुटुम्बियों व पडोंसी खातेदारों को बोने व खाने के लिए संभला कर गये। इस मद में इस आशय का कोई कथन नहीं किया गया है कि वादग्रस्त भूमि कालूराम की अथवा झूंथालाल की खातेदारी में कभी रहीं हो तथा कब श्री कालूराम किशनगढ गये तथा कौनसे कुटुम्बी तथा पडोसियों को भूमि खाने बोने के लिए बंटाई पर दी। वाद के मद नम्बर 4 में अंकित किया है कि वादीगण के पूर्वज स्व. श्री कालूराम का लम्बी बीमारी के पश्चात् सन् 1967 में निधन हो गया तथा निधन के पश्चात् उनकी पत्नी नारायणी देवी व पुत्र स्व. श्री भंवरलाल समय–समय पर गांव आते रहे व फसल बंटाई लेते रहे। इस पैरा में वर्णित इबारत से यह स्पष्ट नहीं होता है कि कालूराम लम्बी बीमारी के कारण अपने निधन वर्ष 1967 से कितने समय पूर्व तक बंटाई लेते रहे तथा उसके पश्चात् उनकी पत्नी व पुत्र द्वारा कब तक एवं किन व्यक्तियों से बंटाई ली जाती रही। वाद पत्र में मद नम्बर 5 में अंकित किया है कि भंवर लाल व नारायणी देवी के निधन के पश्चात् वादी संख्या 1

कई बार प्रतिवादीगण के पास आये व उपज का हिस्सा मांगा परन्तु वे यह कहकर टालते रहे कि पानी खत्म हो चुका है, पैदावार नहीं होती है तथा जमीन खाली पडी है। उक्त अभिवचन में यह कतई स्पष्ट नहीं है कि वादी संख्या 1 कब–कब प्रतिवादीगण के पास आये तथा अंन्तिम बार बंटाई कब प्राप्त की गई। वाद पत्र में मद नम्बर 6 में अंकित किया है कि जनवरी 2016 में प्रतिवादीगण को विश्वसनीय सुत्रों से यह जानकारी मिली है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता0 4 वादीगण के हिस्से की जमीन को बेचने पर आमादा है तथा इस पर वादीगण संख्या 1 ने सूचितकर्ता व्यक्ति से कहा कि हमारी भूमि को दूसरे व्यक्ति कैसे बेच सकते है तो उसने बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता0 4 ने भूमि अपने नाम करवा रखी है। उक्त वर्णन में तथाकथित विश्वसनीय सुत्रों एवं सुचितकर्ता व्यक्तियों के बारे में कोई कथन अंकित नहीं किया हुआ है। मद नम्बर 7 में अंकित किया गया है कि वादीगण द्वारा अपनी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त की जिससे यह ज्ञात हुआ कि प्रथम सैटलमेन्ट कार्यवाही व एकीकरण की कार्यवाही के दौरान वादीगण की पुश्तैनी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 38 के पूर्वजों ने अपने नाम करवा ली है। उक्त मद में इस बाबत कोई वर्णन अंकित नहीं किया है कि राजस्व रिकॉर्ड की नकलें हेतु कब आवेदन किया गया तथा नकल कब प्राप्त हुई। इस प्रकार वाद पत्र में वाद कारण जनवरी 2016 में विश्वस्त सुत्रों से जमीन को बेचेने की जानकारी होने से उत्पन्न होना कथन किया गया है। वाद पत्र के मद नम्बर 5 में उपज का हिस्सा नहीं देना कथन किया गया है तब से लेकर तथाकथित वाद कारण उत्पन्न होने की दिनांक जनवरी 2016 तक वादीगण द्वारा क्या कार्यवाही की गई इस बाबत् कोई कथन वाद पत्र में अंकित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र के साथ जो दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई है वे 18 जुलाई 2016 को प्राप्त किया जाना अंकित है तथा प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु 5 जुलाई 2016 को आवेदन किया जाना अंकित है। जब वाद कारण जनवरी 2016 में उत्पन्न होना कथन किया है तो जनवरी से लेकर जुलाई 2017 तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? इस बाबत् भी वाद पत्र में कोई कथन अंकित नहीं किया गया है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद कारण वाद पत्र में वर्णित अभिवचन का सकल योग (Bundle of Fact) होता है परन्तु प्रस्तुत वाद पत्र को पढने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वास्तविक वाद कारण कब पैदा हुआ तथा उसके पश्चात् वादीगण द्वारा तत्परतापूर्वक क्या कार्यवाही की गई? वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में इसके संबंध में एक भी कथन नहीं किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय वादग्रस्त भूमि वादी के कौनसे पूर्वज की खातेदारी की भूमि रही थी तथा उसके पश्चात् किस–किस तरह से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात किये गये है तथा भू–प्रबन्ध कार्यवाही एवं एकीकरण की कार्यवाही के दौरान कौनसे पूर्वज की खातेदारी विलोपित कर प्रतिवादीगण को खातेदारी दी गई है। चूंकि वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है अतः वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय की राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि आवश्यक रूप से वाद पत्र के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए थी जो कि नहीं की गई है। किसी वाद पत्र को विधि द्वारा वर्जित उस स्थिति में माना जा सकता है जबकि यदि वाद पत्र में वर्णित सभी अभिवचनों को हूबहू स्वीकार कर लेने के पश्चात् उसका स्वाभाविक परिणाम चाहे गये अनुतोष के रूप में नहीं होता हो। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत वाद पत्र में जो अभिवचन दर्ज किये गये हैं उनको हूबहू सत्य मान भी लिया जावे तो वादीगण द्वारा चाहे गये अनतोष को प्रदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि वादीगण द्वारा न तो स्पष्ट रूप से यह अंकित

किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय वादग्रस्त भूमि सजरा खानदान में वर्णित कौनसे पूर्वज की खातेदारी की भूमि रही है तथा उसके पश्चात् कौन–कौन से अन्य वारिसों को जरिये विरासत खातेदारी प्राप्त हुई है इस आशय का कोई कथन अपने वाद पत्र में वादी द्वारा नहीं किया गया है न ही यह कथन अंकित किया है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा वादीगण के किस पूर्वज की खातेदारी विलोपित करते हुए प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई हो। इस प्रकार वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत उक्त वाद पत्र के आधार पर कोई अनुतोष दिया जाना सम्भव नहीं है। वाद पत्र में स्पष्ट वाद कारण का अभाव है। क्योंकि एक तरफ तो वादी संख्या 1 द्वारा कई बार प्रतिवादीगण से उपज का हिस्स मांगने पर मना किया जाना कथन किया गया है तथा दूसरी ओर जनवरी 2016 में विश्वसनीय सुत्रों से जमीन को बेचेने की जानकारी होना कथन किया गया है दोनों अभिवचन अस्पष्ट है तथा कोई स्पष्ट दिनांक अथवा व्यक्तियों आदि का वर्णन इसमें नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त जो राजस्व रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त की गई है वे भी तथाकथित वाद कारण उत्पन्न होने की दिनांक जनवरी 2016 से 6 माह के पश्चात् प्राप्त की गई है जो कि वादीगण की लापरवाही को दर्शाता है तथा यह भी प्रकट करता है कि वादीगण द्वारा मिथ्या वाद कारण अपने वाद पत्र में अंकित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं होने से विधि द्वारा वर्जित होना तथा स्पष्ट वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में जिन न्यायिक दृष्टान्तों का उल्लेख किया गया है वे इस पर लागु नहीं होते है क्योंकि वाद पत्र न तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किसी विशिष्ठ प्रावधान अन्तर्गत प्रस्तुत होना साबित नहीं होता है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रारम्भ के समय की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। साथ ही वाद पत्र के Bundle of Fact से भी स्पष्ट वाद कारण प्रकट नहीं होता है। उपर्युक्त विवेचन से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में कोई विधिक बल निहित होना नहीं पाया जाता है तथा अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथा अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

8– अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 16–04–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर